-प्रेस नोट-

दिनांक 23.01.2026

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 23.02.2022 को वादी उप निरी0 श्री मनोज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त 1.शोएब पुत्र वाजिद मलिक नि0 ग्राम खेड़ा कुरतान थाना कांधला जनपद शामली के कब्जे से 8 ग्राम स्मैक बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-58/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-487/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 23.01.2026 को शोएब पुत्र वाजिद मलिक निवासी ग्राम खेड़ा कुरतान थाना कांधला जनपद शामली को थाना नानौता पर पंजीकृत मु0अ0सं0-58/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक- उप निरी0 श्री संदीप चौधरी
पैरोकार है0का0 788- नौशाद राणा थाना नानौता सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 23.01.2026

सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही

थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ओवरलोड रेत से भरा, बिना प्रपत्र के 01 डम्पर सीज

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण तथा अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार एवं राजस्व टीम के कुशल नेतृत्व में दिनाक 23.01.2026 की रात्रि में को चौकी शाहजहापुर में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चैंकिग के दौरान थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 1 डम्पर को चेक किया गया जो ***ओवरलोड रेत से भरा, बिना किसी वैध प्रपत्र के परिवहन कर रहा था।*** *उक्त वाहन को नियमानुसार सीज किया गया है।*

इस कार्यवाही का उद्देश्य जनपद सहारनपुर में अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं नियम विरुद्ध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा पर्यावरण सरक्षण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है।

विवरण -

डम्फर 18 टायरा रजि० नं0 HR 58 E 3643

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार शर्मा, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर ।

2. नायब तहसीलदार तहसील सदर ।

3. थाना सरसावा पुलिस टीम ।